58/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : /03/76/एक/2020–21 दिनांक : 2020

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**गौतमबुद्धनगर।**

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेशण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आई0डी0बी0आई0 बैंक	0347104000038252	IFSC Code IBKL0000347	**168.345**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	गौतमबुद्धनगर	मु0अ0–37	न0पं0 दनकौर	वार्ड नं0 06 में तुलसी नगर पार्ट 21 बाईपास रोड से नन्द किशोर स्कूल (बी0पी0बी0डी0 स्कूल) एवं सम्पर्क गलियों में इण्टरलकिंग टाईल्स रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	प्रथम	16.553
2	गौतमबुद्धनगर	मु0अ0–37	न0पं0 दनकौर	वार्ड नं0 06 में तुलसी नगर (पार्ट–1) धनौरी रोड से अरूण के गोदाम एवं सम्पर्क गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	प्रथम	16.353
3	गौतमबुद्धनगर	मु0अ0–37	न0पा0प0 दादरी	वार्ड नं0 15 में लाल क्वार्टर के पास नाले पर तिलक के प्लाट से जगत के प्लाट तक, वार्ड नं0 13 में राज सिंह के मकान से ज्ञान सिंह रावल के प्लाट तक, मै, मैन जी0टी0 रोड भगत फार्म के सामने गंगा जाटव की दुकान से बिजेन्द्र जाटव की दुकान तक, दौलतनराम कालोनी में राम किशन साकीपुर वालों के मकान से एन0एस0 कालेज के पीछे वाली गली तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।	एकमुश्त	83.356
4	गौतमबुद्धनगर	मु0अ0–37	न0पा0प0 दादरी	वार्ड नं0 10 में कठैहरा में भवर सिंह मावी के मकान से गजेन्द्र मावी के मकान तक, वार्ड नं0 18 में कुमार बैण्ड वाले वाले के मकान से लेकर शनि मन्दिर तक, वार्ड नं0 18 में तुलसी विहार में ओमेन्द्र के मकान से विनय	एकमुश्त	52.083

SRYADAV-DM ALP-20-21

02.05.2020

59/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र. सं.	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	किश्त सं.	अवमुक्त की जा रही धनराशि
				के खेत तक, वार्ड नं0 16 में प्रदीप के मकान से अजीत के मकान तक, वार्ड नं0 22 में बैरागी मन्दि से ईश्वर पण्डित के मकान तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण कार्य।		
	योग					168.345

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

4– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

5– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष **2020–21** में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

6– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

7– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

02.05.2020

SRYADAV-DM-ALP-20-21

8– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिशित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

02.05.2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा

(निदेशक) 1.5.2020
सूडा

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

02.05.2020
(वित्त नियन्त्रक)
सूडा